हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

29 जुलाई, 1975

खण्ड–3 अंक 2

अधिकृत विवरण

विशय–सूची

मंगलवार, 29 जुलाई, 1975

	पृश्ठ संख्या
कार्य–मंत्रणा समिति का प्रथम निवेदन	(2) 1
वर्श 1975–76 के अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) (i) राज्य के राजस्वो पर प्रभृत व्यय के अनुमान (i) अनुपूरक अनुदानो की मांगो पर चर्चा तथा मतदान।	 (2) 2 (2) 2
वर्श 1970–71 के अनुदानो तथा विनियोजनों से अधिक मांगो पर चर्चा तथा मतदान	(2) 6
दी हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं0 4) बिल, 1975	(2) 7
दी हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं0 5) बिल, 1975	(2) 11
दी पंजाब पंचायत समितीज़ (हरियाणा अमैडमैंट एंड वैलिडे ान) बिल, 1975	(2) 12
दी पंजाब ग्राम पंचायत (हरियाणा अमैडमैंट) बिल, 1975	(2) 16

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 29 जुलाई, 1975

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 14:00 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी सरुप सिंह) ने अध्यक्षता की।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रथम प्रतिवेदन

Mr. Speaker: I report the time table fixed by the Business Advisory Committee in regard to various Business.

" The Committee, after some discussion, recommended that the business on the 29th July 1975, be transacted as follows:-

29 July, 1975, at 02:00 P.M.

From 02:00 P.M. to 4:00 P.M.

1. Presentation and adoption of the First Report of the Business Advisory Committee.

2. Discussion voting on the Supplementary Estimates (1st installment) for the year 1975-76.

3. Discussion and voting on the Excess Demands over Grants and Appropriations for the year 1970-71.

House to Adjourn till 5:00 P.M.

Legislative Business (at 5:00 P.M.)

1. The Haryana Appropriation (No. 4) Bill, 1975.

2. The Haryana Appropriation (No. 5) Bill, 1975.

3. The Punjab Panchayat Samitis (Haryana Amendment and Validation) Bill, 1975.

4. The Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill, 1975."

Home Minister (Sh. K. L. Poswal): Sir, I beg to move-

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker: Motion moved-

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker: Question is-

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

वर्श 1975–76 के अनुपूरक अनुमान (प्रथम क्स्त)

(1) राज्य के राजस्वो पर प्रभृत व्यय के अनुमान

वित्त मंत्री (श्री राम सरन चंद मित्तल): अध्यक्ष महोदय, यह डिस्क ान और वोटिंग हमे ाा की तरह एक साथ हो जाए तो बेहतर रहेगा।

Mr. Speaker: Those Hon'ble members who want to discuss the charged items may do so.

(No hon'ble member rose to speak)

(2) अनुपूरक अनुदानो की मांगो पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker: According to the previous practice all the demands for grants appearing on the order paper will be deemed to have been read and moved together. The hon'ble members can raise discussion on their demands but while speaking they will have to indicate the demand number on which they want to raise discussion.

That a supplementry sum not exceeding Rs. 19,35,543 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1976 in respect of Demand No.-9 *Education.*

That a supplementry sum not exceeding Rs. 20,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1976 in respect of Demand No.-10 *Medical and Public Health.*

That a supplementry sum not exceeding Rs. 10,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1976 in respect of Demand No.-11 *Urban Development*.

That a supplementry sum not exceeding Rs. 25,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1976 in respect of Demand No.-13 *Social Welfare and Rehabilitation*.

That a supplementry sum not exceeding Rs. 6,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1976 in respect of Demand No.-20 *Forest*.

That a supplementry sum not exceeding Rs. 97,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1976 in respect of Demand No.-8 *Building and Roads*.

That a supplementry sum not exceeding Rs. 38,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1976 in respect of Demand No.-15 *Irrigation*.

That a supplementry sum not exceeding Rs. 6,85,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1976 in respect of Demand No.-25 *Loans and Advances by State Government*.

चौधरी ि िाव राम वर्मा (नीलाखेडी): आदरणीय अध्यक्ष महोदा, मैं इस डिमांड नं0 15 के बारे में एक निवेदन करना चाहूंगा कि कुल 74.59 लाख रुपये की रकम केन्द्रीय सरकार ने हमारी हरियाणा सरकार को किसानो के लिए राईस प्रोक्योरमैंट के बोन्स के रुप मै मिली थी, लेकिन अब हरियाणा सरकार उस में से जुई कैनाल प्रोजैक्ट के लिए 38 लाख रुपया दे रही है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि या तो यह रुपया उन किसानों को मिलना चाहि जिनसे प्रोक्योरमैंट हुई थी, जिन्होने चावल दिया था, और अगर सरकार ने यह फेसला कर लिया है कि उनको नही देना है तो फिर कम से कम पैदावार बढाने के लिए उन स्कीमो पर इस रुपये को खर्च किया जाए जिन से उस इलाके के लोगों को लाभ पहुंचे। इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जितना रुपया है वह किसानों को बांटा जाए और जिस प्रोपोर ान से उन से प्रोक्योरमैंट हुई है उसी के हिसाब से उन्हे यह रुपया बांटा जाएं। अगर ऐसी बात किसी कारण से नही हो सकती तो फिर यह रुपया उन्ही पर ही खर्च होना चाहिए। सरकार को मेरा यह सुझाव है ताकि खेती की पैदावार में बढोतरी हो सके। जैसा कि किसानो को कम किमत मिलती है, उन को कुछ हौसला मिल सके, उनको नकद पैसा मिल सके या फिर यह रुपया किसी ऐसी स्कीम पर खर्च किया जाए जिससे उनको फायदा पहुंचने की संभावना हो सके, जिससे उनको बिजली ज्यादा मिले, पानी ज्यादा मिले और दूसरी सुविधाएं भी प्राप्त हो सकें ताकि इस प्रांत की पैदावार बढे और इस में उनका

भी भला हो, प्रांत का भी भला हो और सारे दे ा का भला हो। बस मेरा इतना ही निवेदन है।

चौधरी मेहर चंद (बडोपल): स्पीकर साहब, इस डिमांड नं.0 15 के बारे में तो हमें गवर्नमैंट को दाद देनी चाहिए। आज इस बात की बडी जरुरत है और वक्त का तकाजा भी है कि नई नहरों की फौरन कम्पली ान की जए ताकि परमानैंट बेसिज़ पर हमारी प्रोडक ान बढे, लेकिन यह कह देना गलत बात है कि यूं ही रुपये को जाया कर दिया है। इस बात का कोई मतलब नही है। जुई कैनाल पर यह रकम खर्च की है और अब स्टेट कनटैंजैंसी फण्ड से ली गई इस रा ि को रिज़यूम करना है। मैं तो यह कहूंगा कि इस बारे में गवर्नमैंट की जितनी तारीफ की जाए थोडी है। लेकिन एक बात जरुर कहूंगा कि गवर्नमैंट जितना ध्यान नई योजनाओ के उपर दे रही है वह ठीक है, हमे इस पर कोई एतराज नही है, लेकिन जहां पर आलरेडी वॉटर अवेलेब्ल है उस वॉटर को कम्पलीटली युटिलाईज़ करने की तरफ भी गवर्नमैंट को ध्यान देना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, कहना तो नही चाहता था लेकिन यही एक मौका है जहां पर मैं कुछ कह सकता हूं। एक फतेहाबाद ब्रांच है जो अन–लाईंड चैनल्ज़ में सब से बडी चैनल है और उस चैनल के अंदर लाइनिंग न होने की वजह से लगभग 500 क्युसिक पानी को लौस है। इससे 1 लाख 12 हजार एकड भुमि में इरीगे ान मज़ीद हो सकती है, क्योकि यह वॉटर आलरेडी अवेलेबल है और जाया हो

रहा है। इसलिए मैं सरका से निवेदन करुंगा कि जो अनलाइन्ड चैनल्ज़ हैं, उनकी तरफ सरकार का जरुर ध्यान होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपके सामने एक चीज आई थी कि हमारी यूथ कांगेस यह चाहती है कि हम बडी तेजी से अपनी प्रोडक ान को बढाएं। पंजाब के दरियाओं से इतना पानी हमें मिलता, इसमें किसी का कसूर नही है, यह बहुत डिफिकल्ट वर्क है क्योकि इसका फेसला होने में अभी कुछ टाईम लगेगा। इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि फतेहाबाद ब्रांच की लाईनिंग की जाए, इस तरफ सरकार को खासतौर से ध्यान देना चाहिए। आखिर में, मैं फिर कहना चाहता हूं कि अगर जुई कैनाल पर खर्च की गई रा ि ा इस डिमांड द्वारा मांगी जा रही है तो इस में कोई आपत्ती वाली बात नही है। इन भाब्दों के साथ मेरी गुजारि ा है कि इस डिमांड को पास कर दिया जाए।

Mr. Speaker: Now I will put the various demands to the vote of the House.

Mr. Speaker: Question is-

That a supplementry sum not exceeding Rs. 19,35,543 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1976 in respect of Demand No.-9 *Education.*

That a supplementry sum not exceeding Rs. 20,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending

31st March, 1976 in respect of Demand No.-10 *Medical and Public Health.*

That a supplementry sum not exceeding Rs. 10,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1976 in respect of Demand No.-11 *Urban Development.*

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a supplementry sum not exceeding Rs. 25,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1976 in respect of Demand No.-13 *Social Welfare and Rehabilitation.*

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a supplementry sum not exceeding Rs. 6,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1976 in respect of Demand No.-20 *Forest.*

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a supplementry sum not exceeding Rs. 97,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending

31st March, 1976 in respect of Demand No.-8 *Building and Roads.*

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a supplementry sum not exceeding Rs. 38,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1976 in respect of Demand No.-15 *Irrigation.*

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a supplementry sum not exceeding Rs. 6,85,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1976 in respect of Demand No.-25 *Loans and Advances by State Government.*

The motion was carried.

वर्श 1970–71 के अनुदानो तथा विनियोजनो से अधिक मांगो पर चर्चा तथा मतदान

Finance Minister (Shri Ram Saran Chand Mittal): I request that similarly the demands on the other subject (Excess demands over grants and appropriations for the year 1970-70)be also deemed to have been read and moved.

Mr. Speaker: The Excess Demands over Gratns and Appropriations for the year 1970-71 will be deemed to have been read and moved.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 43048 be made to regularise the charges already incurred inexcess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1970-71 in respect of 22-*Jails*.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1303613 be made to regularise the charges already incurred inexcess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1970-71 in respect of 43 & 44-*Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage works (Commercial and non-Commercial)*.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 12804 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1970-71 in respect of Charges on *Buildings and Roads Establishment*..

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1645696 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1970-71 in respect of Charges on *65-Pensions and otherRetirement Benefits*.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 9986 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1970-71 in respect of Charges on *95-Capital outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research*.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 33159420 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1970-71 in respect of Charges on *98-Capital outlay on multipurpose River Schemes*.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 265 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1970-71 in respect of Charges on *109-Capital outlay on other works*.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 10559600 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1970-71 in respect of Q-*Loans and advances by the state Government*.

(अगर कोई मैम्बर इन डिमांड्ज पर बोलना चाहे तो बोल ले)

(No Hon'ble member rose to speak)

Mr. Speaker: Now I will put these demands to the vote of the House.

Mr. Speaker: Question is-

That a grant of a sum not exceeding Rs. 43048 be made to regularise the charges already incurred inexcess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1970-71 in respect of 22-*Jails*.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1303613 be made to regularise the charges already incurred inexcess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1970-

71 in respect of 43 & 44-*Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage works (Commercial and non-Commercial).*

That a grant of a sum not exceeding Rs. 12804 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1970-71 in respect of Charges on *Buildings and Roads Establishment*..

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1645696 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1970-71 in respect of Charges on *65-Pensions and otherRetirement Benefits*.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 9986 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1970-71 in respect of Charges on *95-Capital outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research*.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 33159420 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1970-71 in respect of Charges on *98-Capital outlay on multipurpose River Schemes*.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 265 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1970-71 in respect of Charges on *109-Capital outlay on other works*.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 10559600 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1970-71 in respect of Q-*Loans and advances by the state Government*.

The motion was carried.

Mr. Speaker: The House stands *adjourned till 17:00 hours today.

14:13 बजे

(The Sabha adjourned at 14:13 hours and re-assembled the 17:00 hours.)

दी हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं0) बिल, 1975

17:00 बजे

Finance Minister (Sh. Ram Saran Chand Mital): Sir, I beg to introduce the Haryana Apropriation (No. 4) Bill, 1975.

I also beg to move-

That the Haryana Appropriation (No.4) bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Appropriation (No.4) bill be taken into consideration at once.

राव बंसी सिंह (अटेली): अध्यक्ष महोदय, मैं ि ाक्षा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं और वह यह कि हरियाणा के अंदर ि ाक्षा का स्तर बहुत नीचा जा रहा है। जैसा कि इस साल के हायर और हाया सैकेंडरी स्कूलो के रिज़ल्अस से जाहिर होता है। इस साल रिज़लअ इतना लो आया है कि अगर इसी तरह से हमारी ि ाक्षा चलती रही, तो हमारी आगे आने वाली संतान कैसे आगे बढ सकेगी। मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जिन स्कूलो का रिजल्ट चार पांच फिसदी से भी नीचा रहा है, उन से पूरी तरह से ि ाक्ष मंत्री जी एक्सपलेने ान लें उनका रिज़ल्ट इतना बिलो स्टैंडर्ड क्यों रहा है। इसके साथ साथ मैं सरकार आ ाा रखता हूं कि वह ि ाक्षा की तरफ पूरी तरह से अधिक से अधिक ध्यान रख कर इसके स्तर को उंचा करेगी ओर आगे बढाएगी। इस बारे में मैं दूसरी बात सरकार के ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं कि जहां तक लडको के स्कूलो का संबंध है जिला महेंद्रगढ में गांव गांव में स्कूल है लेकिन जहां तक लडकियों की ि ाक्षा का संबंध हे इस बारे में बहुत कमी है। आज दे ा के अंदर लडकियों को ि ाक्षित करने की बहुत जरुरत है क्योंकि जब तक हमारी लडकियां ि ाक्षित नही होगी, तब तक हमारी आगे आने वाली संतान अच्छी नही बन सकेगी। इसलिए सरकार से प्रार्थना है कि हमारे जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं जिला महेंद्रगढ, भिवानी वगैरह के वहां पर कम से कम हर जिले में पांच पांच हाई स्कूल लडकियों के होने चाहिए ताकि वहां कि लडकियां हाई स्कूल की ि ाक्षा प्राप्त कर सके। एक बात मैंने इरिगे ान के

बारे में भी कहनी है। हमें खु ी है कि जब से चौधरी बंसी लाल जी मुख्य मंत्री बने हैं उन्होने बैकवर्ड एरियाज़ की तरफ ध्यान दिया है और बडी मेहनत से सैंटर से लोहारु, जुई कैनाल्ज़ वगैरह मंजूर करवा कर, बनवा कर उन खु क इनाको में सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया है जहां पहले पीने के लिए भी पानी नही मिलता था। इस बारे में अगर कोई भाई आपत्ती करता है तेा मैं समझता हूं कि वह भूल करता है क्योंकि खेती के लिए भी पानी मिला। लेकिन ये जो जिला भिवानी, महेंद्रगढ और कुछ जिला रोहतक के झज्जर साल्हाबास वगैरह के बैकवर्ड एरियाज़ है इनकी तरफ कोई ध्यान नही दिया गया और वहां पर खेती के लिए तो कहां पीने के लिए भी पानी नही मिलता था। अगर अब इस सरकार ने वहां पानी पहूंचाया है तो उस पर किसी को बिला नही होना चाहिए और वहां पानी देने के लिए अगर रुपया खर्च किया जाता है तो किसी भाई को महसूस नही होना चाहिए। इन बैकवर्ड एरियाज़ में जो पहले कमीयां रही हैं, अगर उनको अब पुरा किया जाता है तो उनका सारा क्रेडिट इस सरकार को जाता है और वे इलाके इस सरकार के आभारी है। इसके साथ साथ जिला महेंद्रगढ के एरिया को सैराब करले के लिए जो पंडित जवाहर लाल नेहरु कैनाल की जो स्कीम चली है, उसके लिए मै सरकार का ध्न्यवाद करता हूं। लेकिन एक बात मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि यह जो सप्लीमैंट्री डिमांड्ज आई, जिनके बारे में अब यह ऐप्रोप्रिए ान बिल आया, इन में इस स्कीम के लिए पैसा नही लिया गया है। मैं इस तरफ फाइनैंस मिनिस्टर साहब का ध्यान दिलाना चाहता हूं

और मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सैंटर से और रुपया लेकर यह जो पंडित जवाहर लाल नेहरु कैनाल स्कीम चल रही है उसे जल्दी से जल्द पूरा करें ताकि वहां के लागों को पानी मिल सके।

श्री गौरी भांकर (नरवाना): स्पीकर साहब, मैं सिंचाई मंत्री जी का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि तहसील नरवाना में पानी की बहुत कमी है, इसलिए वहां के खाल वगैरह पक्के किये जायें, ताकि वहांपर पानी की सप्लाई बढ सके। इस के साथ ही मैं ि ाक्षा मंत्री जी का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि हमारा नरवाना का जो इलाका है वह बैकवर्ड है और वहां पर लडकियों की हाई स्कूल की ि ाक्षा के लिए हाई स्कूलो की कमी है। नरवाना में तो हाई स्कूल लडकियों के लिए है लेकिन देहात में कोई इंतजाम नही है। इसलिए मैं ि ाक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि देहात में भी लडकियों के लिए है लेकिन देहात में कोई इंतजाम नही है। इसलिए मैं ि ाक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि देहात में भी लडकियों के लिए हाई स्कूल की ि ाक्षा देने का प्रबंध किया जाए और मैं आ ाा करता हूं कि वह इस तरफ हमदर्दी से ध्यान देंगें। इस के अलावा मैं अर्ज करता हूं कि हमारे यहां स्कूलो का रिजल्ट बहुत लो स्टैंडर्ड का आया है और वह रिजल्ट अगर मैं यह कहूं कि जीरो जैसा ही आया है तो ठीक ही होगा। यह कोई ि ाक्षा का स्टैंडर्ड नही कि इतना नीचा रिजल्ट आएं। मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके

जा टीचर्ज है उनको ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए और उनको वहां से तबदील किया जाए ताकि जो टीचर्ज वहां पर लगाएं जायें वे अच्छे तरह से ि ाक्षा देने का इंतजाम कर सकें।

वित्त मंत्री (श्री राम सरन चंद मित्तल): अध्यक्ष महोदय, सदस्यों ने ि ाक्षा और सिंचाई के बारे में भाशण दिये हैं। यह विशय बहुत महत्वपूर्ण था इसलिए मैंने इस पर एतराज नही किया लेकिन सप्लीमैंट्री बजट के बारे में नियम यह है कि जो आइटम है और जितना वह है उस पर ही बोलना चाहिए और (विघ्न्) खैर अब वे बोल चुके है और ये बातें बैकवर्ड एरियाज़ के संबंध रखती थी.....

सिंचाई एवं बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): और आप भी तो बैकवर्ड एरिया हैं इसलिये ठीक है (हंसी)

श्री राम सरन चंद मित्तलः तो मैं अर्ज करता हूं कि जो बातें उन्होने कहीं है उन पर सरकार और संबंधित मंत्रीगण पूरा ध्यान देंगे।

श्री बनारसी दास गुप्तः आप पैसे भी तो दो, हमारा ध्यान तो पूरा है (हंसी)

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): स्पीकर साहब, एक खास बात और मांग तो यह आई है कि रिजल्ट ठीक नही आया है और अध्यापकों और हैडमास्टर्ज़ के बारे में भी कहा गया है कि उनको पढाई के काम को देखा जाए। मैं समझता हूं कि हमें इस

पर ऐतराज नही कि हम इस बात पर पूरी तरह से विचार करें। मैं समझता हूं कि इस बारे में एजुके ान मिनिस्टर साहब गौर करेंगे और इस चीज को एग्जामिन करेंगे। रिजल्ट्स स्कूलो के हमारे खराब रहे हैं, इसके मायने हैं कि वहां अध्यापको के पढाई के काम करनेमें कमी है। दूसरी बात पंडित जवाहर लाल नेहरु कैनाल के बारे में कही गई है। हमारी कोि ा ा है कि हम उसको जल्दी से जल्दी पूरा करें। हम ने उस पर काम चालू कर दिया है। उस पर काम बंद नही होगा, जितनी तेजी से चल सकता है चलाऐंगे।

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Appropriation (No.4) bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: The house will now take up the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

The clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is-

The clause 3 stand part of the Bill

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker: Question is-

That the Schedule be th schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

The clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Finance Minister (Sh. Ram Saran Chand Mital): Sir, I beg to move-

That the Haryana Appropriation (No.4) Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Appropriation (No. 4) Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Appropriation (No. 4) Bill be passed.

The motion was carried.

दी हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं0 5) बिल 1975

Finance Minister (Sh. Ram Saran Chand Mital): Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 5) Bill, 1975.

I also beg to move-

That the Haryaa Appropriation (No. 5) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryaa Appropriation (No. 5) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryaa Appropriation (No. 5) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

The clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is-

The clause 3 stand part of the Bill

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker: Question is-

That the Schedule be th schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

The clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Finance Minister (Sh. Ram Saran Chand Mital): Sir, I beg to move-

That the Haryana Appropriation (No.5) Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Appropriation (No. 5) Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Appropriation (No. 5) Bill be passed.

The motion was carried.

दी पंजाब पंचायत समितिज (हरियाणा अमैंडमैंट एंड वैलिडे ान) बिल,1975

Development Minister (Col. Maha Singh): Sir, I beg to introduce the Punjab panchayat samitis (Haryana Amendment and Validation) Bill, 1975.

I also beg to move-

That the Punjab Panchayat Samitis (Haryana Amendment and Validation) Bill be taken int consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab Panchayat Samitis (Haryana Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

चौधरी ि ाव राम वर्मा (नीलाखेडी): अध्यक्ष महोदय, इस के बारे में मैं अधिक नही कहना चाहता, दो तीन सुझाव ही देना चाहता हूं। इस बिल में एक बात आई है कि सरकार हर जिले में हर तहसील लैवल पर, या हर ब्लाक लैवल पर पंचायत समितियां गठित करेगी। इस संबंध में मैं सुझाव देना चाहता हूं कि प्रत्येक ब्लाक लैवल पर समितियां बनाने की बात इस में से हटा देनी चाहिए। केवल तहसील लैवल पर ही रहें तो ठीक रहेगा। ब्लाक लेवल पर तो बहुत छोटा क्षेत्र हो जाता है, पार्टीबाजी खडी हो जाती है। अगर समितियां जिला लैवल पर ही हो तो काफी बडा क्षेत्र हो जाता है। इसलिए तहसील स्तर का रास्ता जो दरमियान का रास्ता है अच्छा रहेगा। तहसील समितियां अच्छी रहेगी। इसके अलावा दूसरा सूझाव यह है कि जब तक सरकार

द्वारा तहसील समितियां बनाई जाती है या जब तक सरकार ब्लाक समितियां ही रखती है तब भी यह जौनल सिस्टम बना दिया जाए। जोनल सिस्टम इसलिए होना चाहिए, क्योंकि जितने मैम्बर इलैक्ट होने हैं उतने ही जोन बन जाने से चुनाव पर खर्च कम होगा, लोगो की भागदौड कम होगी और पार्टीबाजी भी कम हो जाएगी। जोनल सिस्टम बना देने से दो दो, तीन तीन मैम्बरो का मुकाबला हो सकता हैं। और इसमें आसानी भी रहेगी। अब प्रत्येक प्रत्या ी को सारे क्षेत्र में ही भाग दौड करनी पडती है। जैसा कि संसोधन आया है कि टोटल नम्बर आफ इट्स मैम्बर्ज़ की बजाए टोटल नम्बर आफ इट्स प्राईमरी एंड कोआपटिड मैम्बर्ज को ही कोरम के लिए गिना जाए। मेरा सुझाव यह है कि जब दूसरे एसोि ाएट मैम्बरों की गिनती कोरम से हटाई जा रही है तो इसी प्रकार कोरम की गिनती में को आपटिड मैम्बरो की गिनती की आव यकता नही है। जो मैम्बर इलैक्टिड हो, चाहें कोई भी हो, उन को ही कोरमें गिना जाना चाहिए। क्योंकि कोई एक मैम्बर ओआप ान में तीन चार मैम्बरो को किसी प्रकार का लालच देकर ग्रुप बना लेता है और पार्टीबाजी चलती है। कोआप ान की बजाय केवल इलैक्टिड मैम्बर ही कोरम में रहे, तो अच्छा रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैने दो तीन सुझाव दिए है और आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है, मुझको उम्मीद है कि सरकार इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए बिल में सं ाोधन करने की कोि ा ा करेगी।

श्री जगजीत सिंह टिक्का (नारायणगढ): स्पीकर साहब, मै भी इस बात के मुताबिक कहना चाहता हूं जिस के बारे में चौधरी ि ाव राम वर्मा ने कहा है। यह जो अमैंडमैंट की बात हुई है, यह बहुत अच्छी हुई, क्योंकि पहले यह था कि जो सरकारी मैम्बर था वह वोट नही दे सकता था। लेकिन अगर वहां नो–कांफिडैंस हो जाए तो उस की जगह कोआप्ट करके दूसरा मैम्बर भाामिल हो जाता है, ऐसा करने से इलैक्टिड मैम्बर्ज़ का कुछ नही जाता। यह जो कोआप ान है, यह पिछडी जातियों के मैम्बर भाामिल करने के लिए है। इस के बगैर पिछडी जातियों के मैम्बर पंचायत समितियों में नही आ सकते। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पंचायत समितियों का गठन ब्लाक स्तर पर ही होना चाहिए। न कि तहसील स्तर पर। हां, मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि अगर जोन्ज़ बना दिए जाएं तो इलैक ान करवाने में आसानी हो जाएगी। ऐसा करने से पार्टीबाजी कम हो जाएगी। अगर जोनल सिस्टम अपना लिया जाए तो इसमें कोई हर्ज नही है, मैं इस बिल की पूरी ताईद करता हूं।

श्री गौरी भांकर (नरवाना): आदरणीय स्पीकर साहब, जो सुझाव जोन बनाने के लिए आया है मैं इसकी ताईद करता हूं। जोन सिस्टम होना चाहिए क्योंकि जोन सिस्टम न होने की वजह से पचास–पचास, साठ–साठ आदमी इलैक ान के लिए खडे हो जाते हैं उन सब को ब्लाक में घूमना पडता है। अगर जोन सिस्टम हो जाए, तो लोगो को आराम होगा, उनकी फालतू तकलीफ कह

हो जाएगी। मैं आप के द्वारा सरकार से प्रार्थना करुंगा कि इस सुझाव पर विचार किया जाए।

विकास मंत्री(कर्नल महा सिंह): अध्यक्ष महोदय, हमार पंचायत समितियां ब्लाक लैवल पर है और पहले भी कानून में था कि सरकार चाहे तो एक जिले में तहसील लैवल पर या ब्लाक पर समिति बना सकती है और अभी भी वही बात है, उस में कांई फर्क नही है। जैसे सरकार मुनासिब समझेगी, तहसील लैवल पर या ब्लाक लैवल पर, समितियां बनाएगी। लेकिन देखा गया है कि जब हमने जिला परिशदों को एबौलि ा कर दिया तो ब्लाक लैवल पर ही समितियों का गठन मुनासिब समझा गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगो के नुमाईंदे आकर ब्लाक लैवल पर अपने ब्लाक की समिति बनाकर, उनके विकास कार्य में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले सके। इस कानून में भी और पहले के कानून में, इस मामले में कोई खास अंतर नही है। पहले भी तहसील का लफ्ज था और ब्लाक का लफ्ज भी था। और अब भी वही बात कानून में है। इस लिए सरकारइस वक्त यही मुनासिब समझती है कि समितियां ब्लाल लैवल पर ही रहें।

दूसरी बात मैम्बर्ज़ के बाबत कही गई। इस बात को वैसे तो मेरे साथी टिक्का जगजीत सिंह ने साफ कर दिया है लेकिन फिर भी मैं कुछेक बातें कह देता हूं। पहले टोटल नम्बर आफ मैम्बर्ज नो कांफिडैंस, रेजोल्यु ान लाते थे, जिसके अंदर असैम्बली के मैम्बर्ज़, पार्लियामैंट के मैम्बर्ज और दूसरे सरकार

मैम्बर्ज सभी आते थे लेकिन उनसे वह अख्तियार ले लिया है। जब सिर्फ ब्लाक के इलैक्टैड और कोआपटिड मैम्बर्ज इस काम को कर सकेंगे।कोआपटिड मैम्बर्ज कौन बनाता है, जिनकी मैजोरिटी होती है। तो वे भी इलैक्टिड मैम्बर्ज के साथी होते है। पहले टोटल नम्बर से कई दफा ऐमबिगियुटी हो जाती थी। इसलिए इस बात को खास तौर पर साफ करने के लिए यह सं ाधन लाया गया है। इसके अंदर इलेक्टिड मैम्बर्ज और कोआपटिड मैम्बर्ज़ होंगे, दूसरे ऐक्स आफि ियो मैम्बर्ज़ भाामिल नही होगे अगर कभी नो–कांफिडैंस मो ान लाया जाए। कई दफा गलतफहमी होती थी और लोगो को टोटल नम्बर की वजह से अदालत में जाना पडता था। इसलिए उसको क्लीयर करने के लिए यह अमैडमैंट लाई गई। अब मैं हाउस से, स्पीकर साहब, आपके थ्रू निवेदन करुंगा कि यह बिल पास कर दिया जाए।

चौधरी ि िव राम वर्माः जो़न वाली बात के बारे में भी तो कुछ कह दिजिए।

कर्नल महा सिंहः जोन की बाबत तो मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं। हम जिला परिशद को एबौलि ा कर चुके है। अब हमने ब्लाक वाली बात इसलिए की है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग भागा ले सकै और ब्लाक का विकास अच्छी तरह से हो सके। (विघ्न्)

कुछ सदस्यः ज़िले के अंदर कुछ जोन बना दिए जाएं।

कर्नल महा सिंहः इस बात को ऐग्लामिन कर लेगे। अगर जरुरत समझी गई तो अगली दफा अमैडमैंट लाई जाएगी।

इन भाब्दों के साथ, स्पीकर साहब, मैं निवेदन करुंगा कि हाउस इस बिल को पास कर दें।

Mr. Speaker: Question is-

That the Punjab Panchayat Samitis (Haryana Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

The clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is-

The clause 3 stand part of the Bill

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker: Question is-

The clause 4 stand part of the Bill

The motion was carried.

Clause 5

Mr. Speaker: Question is-

The clause 5 stand part of the Bill

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

The clause 1 stand part of the Bill

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Development Minister (Col. Maha Singh): Sir,I beg to move-

That the Punjab Panchayat Samitis (Haryana Amendment and Validation) Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab Panchayat Samitis (Haryana Amendment and Validation) Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Punjab Panchayat Samitis (Haryana Amendment and Validation) Bill be passed.

The motion was carried.

दी पंजाब ग्राम पंचायत (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1975

Development Minister (Col. Maha Singh): Sir,I be to introduce the Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill 1975.

I also beg to move-

That Punjab Panchayat Samitis Haryana Amendment be taken at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab Panchayat Samitis (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

चौधरी ि ाव राम वर्मा: अध्यक्ष महोदय, यह जो सं ाोधन है, मैं इसका विरोध नही करता, लेकिन इस में कुछ बदल के सुझाव देना चाहता हूं, क्योंकि सरपंच के पास पैसा रहने से उसके उपर बी0 डी0 ओ. और दूसरे अधिकारियों का दबाव रहता है। सरपंच चाहे पंचायत समिति का चेयरमैन भी बन जाए, तो भी बी0 डी0 ओ0 उसका मातहत होते हुए भी उसका अफसर बन जाता है। उसे यह डर रहता है कि कही उसके खिलाफ हेरा–फेरी, गबन या अन्य बात का चक न चला दिया जाए। इसके लिए मै सुझावा देना चाहता हूं कि जैसे जैसे पंचो में से एक सरपंच चुना जाता है इसी तरह उनमें से एक कोशध्यक्ष भी चुना जाए जिसकी नहबील में पैसा रहे। सरपंच एक तरह से प्रिजाइडिंग आफिसर है, पंचायत का प्रधान है। अगर कोशाध्यक्ष के पास पैसा रहेगा तो भी उस पैसे के हिसाब–किताब की जिम्मेवारी उसकी रहेगी।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि सरपंच के साथ एक उप–सरपंच भी चुना जाना चाहिए। कई बार सरपंच गांव में नही होता। कई बार तारीखों पर भी उससे आया नही जाता। अगर उप–सरपंच होगा तो जरुरत पडने पर सरपंच की गैरहाजिरी में उसके द्वारा पंचायत की मिटिंग आसानी से हो सकेगी।

तीसरा सुझाव, अध्यक्ष महोदय, मै यह देना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत का एक नि ित सीान पर कार्यालय होना

चाहिए, चाहे वह एक कमरे में हो। अब क्या होता है? सरपंच अगर हाजिर न हो तो पंचायत की बैठक ही नही होती। लगातार कई–कई बैठकें नही होती। इसलिए रिकार्ड ऐसी जगह होना चाहिए जहां नि चत तारीख को जो पंच हाजिर हो उनकी हाजिरी में पंचायत की बैठक हो जाए और उसका काम न रुके।

इसके साथ साथ, अध्यक्ष महोदयख एक सुझाव मैं और देना चाहता हूं। उस संसोघन को ये चाहे अब ले आएं या थोडे दिनो के बाद, जब भी ये ठीक समझे ले आएं। वह सुझाव यह है कि गांव में आबादी गलियों और रास्तो के नक ो बनने चाहिए। क्योंकि बिना नक ो के गावं में बडे झगडे होते है। एक बार नक ो बन जाए, तो झगडे एक बार में ही खत्म हो जाएगें। इससे यह होगा कि जो गली जितनी चौडी होगी वह उतनी ही चौडी रहेगी। आज वहां गलियों बडी तंग हैं। अध्यक्ष महोदा, मेरे इन सुझावों पर यदि गौर किया जाए तो बहुत लाभ हो सकता हैं। इससे पंचायत का काम भी अच्छे से चल सकता है। और सरपंच भी आजादी के साथ अपना काम कर सकता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन बातों पर विचार करके वह इन्हे इस बिल में ले आएं। यदि आज नही ला सकते, तो जल्दी लाने का प्रयत्न करें। ताकि सारा काम अच्छी तरह से चल सके। इन भाब्दो के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री राम धारी गौड(गोहाना): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं अपने मंत्री कर्नल महा सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि यह बहुत बढिया अमैडमैंट है। पंचायत के सामने जो एक बहुत बडी दिक्कत थी वह अब दूर हो जाएगी। पंचायत के लोगो को अगर विकास के कामो के लिए पैसा चाहिए होता था तो वे पंचायत के सैक्रेटरी के पीछे–पीछे फिरते रहते थे लेकिन फिर भी पैसा नही मिलता था। कभी अगर सैक्रेटरी नही होता था तो कागज न होने के कारण मिटिंग नही बुला सकते थे। अब वह अधिकार पंचायत को मिल गया है। अब विकास के काम मे जो खामााह की तकलीफ होती थी वह दूर हो जाएगी।

स्पीकर साहब, एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं कि गावों में जो पंचायत की जमीन है उस पर लोगो ने बहुत ज्यादा नाजायज़ कब्जा कर रखा है। उन जमीनो पर से उन लोगों को हटाया जाना चाहिए। दूसरे गलियों में भी बहुत जदा एनक्रोचमैंट है। हम अब देखते है कि जिन गलियों मे ंसे पहले बैल–गाडियां निकल जाया करती थी, उनकी सफाई होनी चाहिए। गलियों के अंदर बिजली लगनी चाहिए। कई पंचायतो ने तो बिजली लगवा ली है।

Mr. Speaker: Order please. Try to confine to the amending Bill.

श्री राम धारी गौड(थानेसर): स्पीकर साहब, मैं कर्नल सिंह को फिर मुबारिक बाद देता हूं कि जो यह अमैंडिंग बिल लाए

हैं यह बहुत अच्छा है क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अपने ब्लाक में एक ग्राम सचिव ने आज तक भी रिकार्ड नही दिया है और न ही कोई हिसाब किताब पंचायत को दिया हैं। एक ग्राम सचिव के पास कई ग्राम पंचायतो का रिकार्ड रहता है, जिसके कारण से वह काफी हेरफेर कर जाता है। मेरे ब्लाक में जो ग्राम सचिव था उनसे दो–ढाई लाख रुपए का गबन किया है लेकिन अभी तक न कोई रिकार्ड का पता है और न किसी बात का पता है। यह एक बहुत अच्छी तरमीम है जिससे ग्राम पंचायतें बहुत अच्छी तरह चलेगी। ग्राम पंचायतो को एक और भी तकलीफ है, जिसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। ग्राम पंचायतेा की जमीनें ठीक समय पर नीलाम नही होती। अगर नीलाम हो भी जाती है तो केवल एक साल के लिए होती है। और उस जमीन पर जो पहले काबिज होता है वह उसका कब्जा नही छोडता है और अदालत से जाकर स्टे ले आता हैं। इस सिलसिले में कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि आटोमैटिकली वह जमीन उसके कब्जे से छूट जाए और किसी तरह से स्टे न ले सके।

दूसर बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि जो ग्राम पंचायतो की जमीन निलाम होती है वह बखरी–बखरी न करके ब्लाक लैवल पर ग्राम पंचायत की जमीन को नीलाम किया जाना चाहिए। ऐसा करने से ग्राम पंचायतो की आमदनी बढेगी। ग्राम पंचायतो में लोग अपास में मिल मिलाकर जमीन को नीलाम करा लेते है। और आम तौर पर यह जमीनें उन्ही लोगो के पास

चली जाती है जिनके पास पहले होती है। मैं इस तरमीम का स्वागत करता हूं और यह रिक्वैस्ट करता हूं कि जिन सैक्रेटरीज़ के पास से अभी क ग्राम पंचायतो का रिकार्ड नही मिला है उनसे यह रिकार्ड लिया जाना चाहिए। अगर यह रिकार्ड इस वक्त भी उनसे नही लिया जा सका तो फिर कभी नही लिया जा सकेगा। मेरा निवेदन है कि यह बहुत अच्छा सुझाव है, बहुत अच्छी तरमीम है और में इसका स्वागत करता हूं।

चौधरी फूल चंद (मुलाना): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने ग्राम पंचायत में सं ाोधन का जो बिल लाया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खडा हूआ हूं। इस बिल का मकसद यह है कि जो रिकार्ड सरपंच से लेकर ग्राम सचिवो को दे दिया गया था, अब वह सरपंचो के फिर हवाले कर दिया जाए। मैं समझता हूं कि यह एक उन्नती पूर्ण कदम है, क्योंकि पिछले दिनो ंसरपंचो के पास जो ताकत होती थी वह कम हो गई थी। उनके पास पंचायत का कोई रिकार्ड नही होता था और सरपंचो की तरफ से इस बारे में ि ाकायतें आई थी कि ग्राम सचिव मिटिंग नही बुलाते। मैं इस बारे में एक सुझाव देना चाहता हूं कि जो ग्राम सचिव पंचायतो की मिटिंग से अनुपस्थित रहे हो और अपनी कार्यवाही करने में कोताही करते रहे हों उनकी पूरी तरह जांच की जाए और आइंदा या ध्यान रखे कि जो रिकार्ड या अन्य सामान पंचायतो का ग्राम सचिवो के पास है वह जल्दी से जल्दी सरपंचो के हवाले कर दिया जाए जिससे गांव के काम मे ंया तरक्की के

काम में रुकावट न आए। इस एक्ट का असल मन् ाा समाजवाद की ओर ले जाने के लिए एक कदम है। सरपंचो को पूरा समय मिलता है कि वे अपने गांव की तरक्की में हिस्सा ले सकें। इस भाब्दों के साथ मैं इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूं।

श्री जगजीत सिंह (नारायणगढ): स्पीकर साहब, यह जो अमैंडिंग बिल सदन के सामने आया है मैं इसका समर्थन करने के लिए खडा हुआ हूं। इस बिल में जो चीज अब आई है यह पहले सरपंचो के पास होती थी लेकिन कुछ समय पहले या पावर्ज ग्राम सचिवो के पास चली गई थी लेकिन अब फिर सरपंचो को दी जा रही है। अगर कोई सरपंच बेईमानी करता है तो वह एक ही जगह पर बेईमानी करेगा क्योंकि वह एक ही गांव का सरंपच होता है लेकिन ग्राम सचिव के अंडर तो आठ–आठ ग्राम होते है वह तो आठ जगह पर बेईमानी करता है। अगर ग्राम सचिव बेईमानी कर लेता है तो उसका पता ही नही चलता कि वह कहां पर बदल कर चला गया। सरकार जो यह तरमीम करने जा रही है यह एक बहुत अच्छी तरमीम है।

अभी मेरे भाई ि ाव राम वर्मा ने यहां हाउस में बोलते हुए कहा कि गांव में एक सरपंच के अलावा एक उप–सरपंच भी होना चाहिए। जब हम किसी बिल पर बोलते हैं तो उस बिल को अच्छी तरह से पढ लेना चाहिए और उसमें जो भी धाराएं दी गई हैं उनको भी अच्छी तरह से पढ लेना चाहिए। अगर चौधरी ि ाव राम वर्मा क्लाजॅ 3 की सब–क्लाजॅ 18–ए की तीसरी लाईन पढें

तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि रिकार्ड सरपंच के पास रहेगा। and in his absence, the Panch elected by the Panchayat for the purpose तो मरी समझ में नही आता कि वे बिना पढे ही कैसे कहते हैं कि उप–सरपंच भी इलैक्ट करना चाहिए। अगर कोई सरपंच पंचायत से गैर हाजिर होता है तो इसमें साफ लिखा है कि उसकी गैर हाजिरी में वे इलैक्टकर सकते हैं। इस बारे में पंचायत को पूरी पावर्ज हैं। इसके अलावा बी0 डी0 ओ0 को भी पावर्ज हैं क्योंकि पंचायते उसके मातहत हैं। मेरा निवेदन है कि कुछ आफिसर्ज से पंचायतो के रिकार्ड नही मिलते हैं और कई ग्राम सचिव भी अपने ब्लाको में सरपंचो को रिकार्ड नही देते हैं, इसलिए वह रिकार्ड जल्दी से जल्दी दिलाया जाए। मुझे एक ग्राम सचिव का पता है वह कई दिनों से गायब है। उसका कुछ पता नही लगता है और वह पंचायत का रिकार्ड भी नही दे रहा है। वह ग्राम सचिव तनखाह लेने के वक्त आ जाता है लेकिन वैसे हाजिर नही होता। इसलिए मेरी दरखास्त है कि ऐसे अपराधी को जल्द से जल्द तला ा किया जाए और एक् ान लिया जाए।

जिस प्रकार से यह सरकार अमैडमैंट लाई है इससे केवल एक आदमी ही बेईमानी कर सकेगा क्योंकि वह एक पंचायत का सरपंच होता है। वह आठ पंचायतो के साथ बेईमानी नही कर सकता जिस प्रकार से ग्राम सचिव कर लेते थे। इतना कहकर मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और इसमें यह बात साफ लिखी हुई है कि "any Panch elected by the Panchayat, in the absence of the Sarpanch." अगर चौधरी ि ाव राम वर्मा इस बिल पर

बोलने से पहले इसे पढ लेते तो बहुत ही अच्छा होता। स्पीकर साहब, मैं इस बिल का फिर समर्थन करता हूं और सदन से प्रार्थना करता हूं कि इसको पास किया जाए।

श्री गौरी भांकर (नरवाना): स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय का एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। वैसे तो इन्होनेजो बिल पे ा किया है, मैं इसका समर्थन करता हूं लेकिन इसके साथ –साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो सरपंचो को इलैक ान पहले डायरैक्ट होते थे वह बडा अच्छा तरीका था। अगर अब भी डायरैक्ट कर दिए जांए तो अच्छा होगा।

Mr. Speaker: Order please. There are only a few provisions which are being amended. The whole of the Gram Panchayat Act is not being amended by this amending Bill. जो प्रोविज़न अमैंड हो रहे हैं उन्ही के मुताल्लिक बोले, स्कोप से बाहर न बोले या आपने कोई अमडैमैंट ई हो तो उस पर बोले।

चौधरी फूल सिंह (साल्हावा एस0 सी0): स्पीकर साहब, यह जो अमैडमैंट आई है बहुत ही अच्छी है। इसका कडिट कर्नल साहब को जाता है। इसके पीछे एक और भी बात है जिसकी तरफ मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा। हमारे ब्लाक नाहड में एक सैकेटरी है वह 70 हजार रुपया ब्लाक का खा गया। अब वह पकडा गया है। इस वजह से भी कर्नल साहब इस अमैडमैंट को लाएं हैं। क्योंकि इनको इस केस का पता है। यह

बहुत अच्छा हुआ। वह ग्राम सचिव पकडा भी गया परंतु अब भी वह रिकार्ड नही देता है। मैं इस बिल का दोबारा समर्थन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि हाउस इसको पास करें।

विकास मंत्री (कर्नल महा सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथी मैम्बर्ज का बडा आभारी हूं कि उन सब ने मिलकर इस बिल का स्वागत किया है। चौधरी ि ाव राम वर्मा ने छोटी छोटी बातें कही थी। मेरे साथी टिक्का साहब ने उन पर रो ानी डाल दी है। जो सरपंच बी0 डी0 ओ0 से डरेगा तो पंच भी उससे डरेगा। दूसरी बात यह है कि उप–प्रधान की कोई जरुरत नही समझी जाती, क्योंकि इस एक्ट में पहले से ही प्रोविज़न है कि पंच मिलकर किसी दूसरे को इलैक्ट कर सकते है। यह प्रोविज़न पहले भी था और अब भी है।

इसके अलावा मेरे एक दो साथियों ने यह सुझाव दिया है कि गावों के नक ो बन चुके हैं। यह काम भी हमने भाुरु करा रखा है और करीब करीब 2000 गावों के नक ो बन चुके है। मुख्य मंत्री महोदय ने पिछले दिनों डिपटी–कमि नर्ज की एक मीटिंग बुलायी थीं। मै ंभी खुद उसमें भाामिल था। उन्होने डी0 सी0ज़ को हिदायत दी थी कि वे सब मिलकर एक बात की मुहिम भाुरु करें कि जैसे भाहरों के लिए रास्ते खुले करा रहे हैं। इसी तरह से गावों की गलियों को भी थोडा चौडा कराया जाए और जो नाजायज चबूतरे या खुरे बन गये हैं, उनको तोडा जाए। कई गावों में यह काम हुआ भी है लेकिन इस काम के करने में कुछ

रुकावटें अदालतो की वजह से आयी हैं। अब इस बात पर विचार किया जा रहा है किउन रुकावटों को किसी तरह से दूर किया जाए और गावों के रास्ते चौडे करें। गावों की ब्यूटीफिके ान का जो काम है, उस पर सरका पूरा गौर करेगी।

इसके अलावा मैं अपने साथियों को यह बताना चाहता हूं कि भाामलात जमीन को छुडाने के लिए पिछली दफा एक कानून हाउस में लाये थे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ दिक्कते पे ा आयी थी और 70 के करीब रिटें हाई–कोर्ट में हुई हैं। सरकार इस बारे में विचार कर रही है। और खास तौर पर मुख्य मंत्री महोदय ने मुझे यह कहा था कि हम कोई ऐसा मसौदा लाए कि जो भाामलात जमीनें है, जिन पर नाजायज कब्जा हुआ पडा है, उनको नाजायज कब्जे से निकलवायें। भाामलात जीमन को ठीक तरीके से आक ान करने के लिए बकायदा हमारी हिदायतें जारी हूई हैं कि बी0 डी0 ओ0, एस0 ई0 पी0 ओ0 या एग्रीकल्चर इन्सपैक्टर खुद जाये, वहां पर बकायदा डौंडी वगैरह पीटी जाए और आक ान ठीक तरीके से हो। कुछ तो भाामलात जमीनें छुडवायी गयी हैं और कुछ यह आक ान का काम ठीक करने की वजह से पिछले सालों की निस्बत इस साल में पंचायतो को 40 लाख रुपये से ज्यादा की आमदनी भाामलात से हुई है।

अब मैं आपके जरिए हाउस से निवेदन करुंगा कि इस बिल को पास किया जाए।

Mr. Speaker: Question is-

That the Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: The house will now take up the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

The clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is-

The clause 3 stand part of the Bill

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker: Question is-

The clause 4 stand part of the Bill

The motion was carried.

Clause 5

Mr. Speaker: Question is-

The clause 5 stand part of the Bill

The motion was carried.

Clause 6

Mr. Speaker: Question is-

The clause 6 stand part of the Bill

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

The clause 1 stand part of the Bill

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Development Minister (Col. Maha Singh): Sir. I beg to move-

That the Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker: The House stands adjourned Till 9:30 A.M. tomorrow.

(The Sabha then adjourned* till 9:30 A.M. on Wednesday the 30th July, 1975.)